

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ****धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या - 1134****वर्ष 2026**

आरिफ शेख उर्फ मोहम्मद आरिफ एवम् 3 अन्यआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवम् एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता : मोहम्मद वारिस फारूकी

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश चन्द्र मिश्रा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश चन्द्र मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2025 को पारित समन आदेश, जो कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- पंचम, लखनऊ द्वारा आपराधिक वाद संख्या 73063/2025 "राज्य बनाम आरिफ शेख एवं अन्य" में पारित किया गया है, तथा दिनांक 01.09.2024 की आक्षेपित आरोप-पत्र संख्या 1, जो कि प्रथम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सूचना रिपोर्ट संख्या 310/2024, धारा 498-ए, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ के संबंध में प्रस्तुत की गई है, सहित उक्त आपराधिक वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदकों के अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। यह भी निवेदित किया गया कि किसी गलतफहमी के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुआ तथा तत्पश्चात पक्षकारों के मध्य विवाद आपसी सहमति से समाप्त हो गया है। दिनांक 26.09.2025 को समझौता-पत्र लिखित रूप में निष्पादित किया गया है, जिसे वर्तमान प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है। यह भी कहा गया कि अब पक्षकारों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है तथा आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही निरर्थक है, क्योंकि विचारण की कोई संभावना नहीं है और यह मात्र उत्पीड़न है, अतः उक्त कार्यवाही निरस्त की जाए।

5. इसके विपरीत, विपक्षियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आवेदकों के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए कहा कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता हो चुका है तथा अब कोई विवाद शेष नहीं है, अतः आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जाए।

6. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त कथनों पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

7. अब यह कि पक्षकारों के मध्य वास्तव में समझौता हुआ है या नहीं, इसका सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना उचित होगा, क्योंकि ऐसा समझौता संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में विधिवत सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. तदनुसार, यह प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि यदि कोई ऐसा समझौता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते के समस्त हस्ताक्षरकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा तथा तत्पश्चात समझौते का सत्यापन करेगा। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय इस संबंध में प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा समझौते को अभिलेख का भाग बनाया जाएगा।

9. ऐसी स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को प्रतिवेदन एवं समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा तथा आवेदकों को पुनः इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही निरस्तीकरण हेतु आने का अधिकार होगा।

10. तीन माह की अवधि के लिए, दिनांक 24.07.2025 के समन आदेश, दिनांक 01.09.2024 की आरोप-पत्र तथा आपराधिक वाद संख्या 73063/2025 “राज्य बनाम आरिफ शेख एवं अन्य” से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही, जो कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-पंचम, लखनऊ के न्यायालय में लंबित है, आवेदकों के संबंध में स्थगित रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह यह परीक्षण करे कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है, क्या वे सभी समझौते के पक्षकार हैं अथवा नहीं, तथा इस संबंध में सत्यापन आदेश के साथ प्रतिवेदन भी प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई मूल समझौता-पत्र अभिलेख पर उपलब्ध हो, तो उसकी छायाप्रति सुरक्षित कर मूल प्रति आवेदकों के अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।

(श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)



23 मार्च, 2026

वि. सिन्हा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।